

17/02/22

प्रावली वेब डूई। वकील शर्मा उपस्थित।
मूल वाद हरिवंशसिंह की तलबी अभाव में
अंतर्गत आदेश 9, नियम-5, जा. दौ. के तहत
खारिज हो चुका है एवं प्रावली में अब
आवामी कार्यवाही का कोई अर्थविषय नहीं है।
अतः शर्मा वर प्रावली बाका अशर्मा
निषेधाज्ञा अणवर्षिक की तलबी अभाव में
अंतर्गत 0-9, 4-5, CPC के तहत एतद्वारा
खारिज की जाती है। प्रावली केसल कुमार
लेकर नंबर से कम लेकर दायित्व रूपतर
है। निर्णय शुले न्यायालय में सुनवाई जाकर,
निष्पत्ती जाकर मेरे उत्तराधिकार व न्यायालय
द्वारा से जारी किया जाता है। 1/17

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

